शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।
आदेश

पटना, दिनांक 29-5-26

संख्या–10/मु0–316/2023 ...1211... / प्रश्नगत मामला C.W.J.C. No–56/2024 (अरूण कुमार तिवारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 के अनुपालन में किया जा रहा है। उक्त वाद में पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"4. Considering the prayer made in this application and the fair submission made by the parties, I set aside the orderdated 28.10.2019 passed by the Special Director, Secondary Education Sanskrit, Government of Bihar, Patna (Annexure-7 to the writ application) and remit the matter before him for considering the case of the petitioner afresh in the light of the judgment dated 19.06.2018, as aforesaid, within a period of two months."

2. माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रीट याचिका की सुनवाई दिनांक–18.03.2025 को की गयी तथा इस निदेश के साथ निष्पादित किया गया कि विशेष निदेशक (मा0 शि0) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कृष्ण कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य (2017) 3 SCC. के कण्डिका 177 से 181 में पारित न्यायादेश को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

संबंधित रीट याचिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवेदक श्री अरूण कुमार तिवारी द्वारा वाद दाखिल किया गया है। संदर्भित रीट याचिका में आवेदक ने प्रश्नगत विद्यालय में (7+2) स्वीकृत पद जो कि संस्कृत विद्यालयों के अधिग्रहण अर्थात् अध्यादेश संख्या–32/1989 दिनांक–18.12.1989 एवं अध्यादेश संख्या–21/90 दिनांक–13. 08.1990 के पूर्व की भाँति पुर्नजीवित करने एवं 14.12.1995 के पश्चात् सम्पूर्ण अनुवर्ती लाभ प्रदान करने हेतु याचना किया था।

3. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–18.03.2025 के आलोक में सुनवाई की गयी। जिसमें आवेदक श्री अरूण कुमार तिवारी एवं सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना उपस्थित हुए। प्रश्नगत विद्यालय 429 श्रेणी के अन्तर्गत राज्य सम्पोषित विद्यालय के रूप में उद्घोषित है। प्रश्नगत विद्यालय में मानक मण्डल के अन्तर्गत 7+2=9 पद स्वीकृत था।

विद्यालय अधिग्रहण अध्यादेश संख्या–32/89 दिनांक–18.12.1989 के घोषणा के उपरान्त मात्र 7+2 पद मानक मण्डल के तहत प्रश्नगत विद्यालय को स्वीकृत किये गये। अधिग्रहण अध्यादेश 21/90 अधिनियम में परिणत नहीं होने के फलस्वरूप दिनांक–01.05. 1992 के प्रभाव से Lapse हो गया।

4. आवेदक का यह कथन है कि मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना (अब शिक्षा विभाग) के पत्रांक–1092 दिनांक–01.10.1992 द्वारा मात्र मानक मण्डल (Staffing Pattern) अर्थात 7+2 पद को वेतन भुगतान की परिधि में लाया गया जबकि विज्ञान शिक्षक को इससे वंचित रखा गया।

आवेदक का यह भी कथन है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा पत्रांक–966 दिनांक–14.12.1995 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि " वैसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी जो अध्यादेश में उल्लेखित मानक मंडल के अतिरिक्त है की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी"। उक्त विभागीय परिपत्र में यह भी अंकित है कि संबंधित अध्यादेश द्वारा स्वीकृत मानक मंडल के अतिरिक्त विज्ञान शिक्षकों की सेवा स्वतः समाप्त हो चुकी है।

5. आवेदक द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में LPA No.- 656/2010 में पारित आदेश दिनांक–08.04.2010 प्रस्तुत किया गया जिसके कंडिका सं0–8 में माननीय न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है "This court must hold that the Government order contained in letter no. 14.12.1995 is a dead letter. It is rather strange to find that the only reason in the said order dated 14.12.1995, for abolition of the post of Science teacher and/or additional post of teachers of its being beyond staffing pattern, though specifically sanctioned by the separate orders of the State Government have, is based on Section 4 of Ordinance No.32 of 1989 dated 18.12.1989 when the life of such ordinance itself had come to an end on 13.4.1992."

6. C.W.J.C. No–8228/2011 अरूण कुमार तिवारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"7. Accordingly, the Court directs the Sanskrit Shiksha Board and the Special Director, Secondary Education to undertake appropriate enquiry into the matter and take final decision with regard to the claim of the petitioner and if it is found that the petitioner is working against the sanctioned strength, the petitioner may be extended the benefit of salary, which was admissible prior to the promulgation of the Ordinance. Entire exercise in this regard must be taken by the respondents within a period of four months from the date of receipt/production of a copy of this order."

C.W.J.C. No–8228/2011 अरूण कुमार तिवारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 के आलोक में दिनांक 18.10.2019 को विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय कक्ष में उक्त वाद में निर्णय लेने हेतु एक बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड उपस्थित हुए। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पत्रांक–530 दिनांक 11.03.2019 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–2667 दिनांक 25.09.2019 के द्वारा समर्पित किये गये प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–1266 दिनांक 30.10.2019 द्वारा निर्णय लेते हुए वादी श्री अरूण कुमार तिवारी के दावे को अस्वीकृत किया गया था।

7. बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पत्रांक–63 दिनांक 13.01.2026 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी विज्ञान पद पर कार्यरत थे। 1989 में सरकारीकरण घोषणा होने के बाद इस विद्यालय में 7+2 मानक मंडल पद अध्यादेश द्वारा निर्धारण किया गया। जिसमें विज्ञान पद नहीं है। वादी निर्धारित मानक मंडल पद से बाहर हो गये। बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के ज्ञापांक–966 दिनांक 14.12.1995 के द्वारा सरकार ने विज्ञान शिक्षक का पद समाप्त कर दिया है। वादी का वेतनादि का भुगतान पद समाप्ति तिथि 14.12.1995 तक किया जा चुका है इसके बाद भुगतान स्थगित है।

8. अरूण कुमार तिवारी की नियुक्ति संस्कृत उच्च विद्यालय, बाथ, भागलपुर के पत्रांक–9 दिनांक 04.02.1984 के द्वारा की गई है, जिसका अनुमोदन बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के ज्ञापांक–1122 दिनांक 30.07.1984 के द्वारा दिया गया है।

9. जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–2667 दिनांक 25.09.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें अंकित है कि– "अरूण कुमार तिवारी द्वारा बताया गया कि मेरी नियुक्ति विज्ञान शिक्षक के रूप में दिनांक 31.01.1981 को हुई है। जाँच के क्रम में विद्यालय प्रधान ने बताया कि श्री तिवारी की नियुक्ति विज्ञान शिक्षक के पद पर की गई है। विज्ञान शिक्षक पद की स्वीकृति संबंधि विभागीय पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया।

जाँच के समय श्री तिवारी एवं विद्यालय प्रधान से विज्ञान शिक्षक का पद समाप्ति संबंधि पृच्छा किये जाने पर इनके द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा गजट मेरे समझ में सरकारी पत्र निर्गमन के पश्चात विज्ञान पद स्वतः समाप्त हो गया। विद्यालय की मिली भगत से अपने को कार्यरत दिखाते रहे।"

10. सम्पूर्ण तथ्यों एवं संगत अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विभागीय पत्रांक–957 दिनांक 18.12.1989 के द्वारा संबंधित विद्यालय में प्राथमिक इकाई का पद राज्य सरकार द्वारा सृजित नहीं किया गया था, तथा वादी अतिरिक्त विज्ञान पद पर नियुक्त थे, जो निर्धारित मानक मंडल 7+2 से बाहर है।

11. उपलब्ध तथ्यों/अभिलेखों के समीक्षोपरांत निष्कर्ष निकलता है कि श्री अरूण कुमार तिवारी की नियुक्ति संस्कृत उच्च विद्यालय, बाथ, भागलपुर में विज्ञान शिक्षक के पद पर की गई थी जिसका अनुमोदन बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के ज्ञापांक–1122 दिनांक 30.07.1984 के द्वारा दिया गया था। विज्ञान शिक्षक का पद दिनांक 14.12.1995 तक अस्तित्व में था और इस तिथि तक श्री अरूण कुमार तिवारी का भुगतान भी किया गया। श्री तिवारी दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत हो चुके हैं। बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के ज्ञापांक–966 दिनांक 14.12.1995 के द्वारा सरकार ने विज्ञान शिक्षक का पद समाप्त कर दिया है। अर्थात् जिस पद पर श्री तिवारी नियुक्त थे वह पद दिनांक 14.12.1995 के बाद अस्तित्व में नहीं रहा। अतएव श्री तिवारी दिनांक 14.12.1995 के बाद सेवा में बने रहने के हकदार नहीं हैं।

अतएव श्री अरूण कुमार तिवारी के दावा को अस्वीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही इस मामले को निष्तारित किया जाता है।

29.5.2026

(सचिन्द्र कुमार)
विशेष निदेशक (मा0 शि0)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 10/मु0–316/2023 1211 पटना, दिनांक 29-5-26

प्रतिलिपिः–श्री अरूण कुमार तिवारी, पिता–स्व0 जगत नारायण तिवारी, ग्राम+पोस्ट–कायम नगर, थाना–कोईलवर, जिला–भोजपुर/प्रधानाध्यापक, संस्कृत उच्च विद्यालय, बाथ, भागलपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.5.2026

विशेष निदेशक (मा0 शि0)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।